

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 29, बुधवार, श॥के 1947- फरवरी 18, 2026 Magha 29, Wednesday, Saka 1947- February 18, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर, विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2025

(जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (4) देखें)

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-11/2025/19364785:- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जविप्रा की अनुमोदित सेज पुनर्वास योजना ग्राम झाँई (400 फीट सड़क) के आवासीय भूखण्ड संख्या 38 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-16 के अनुसार यू-2 एचआईजेड दर्शाया गया है, का आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किए जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 29.08.2025 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए गए थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जविप्रा की अनुमोदित सेज पुनर्वास योजना ग्राम झाँई (400 फीट सड़क) के आवासीय भूखण्ड संख्या 38 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-16 के अनुसार यू-2 एचआईजेड दर्शाया गया है, का उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 24.12.2025 को जारी की गई।

निशान्त जैन,

सचिव।